MADHYA PRADESH AYURVIGYAN PARISHAD ADHINIYAM 1987
(HINDI)

डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-505/ इक्यावन पी.

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन
122 (एम. पी.)

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 133] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 मार्च 1996—चैत्र 9, शके 1918

चिकित्सा शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 1996

क्र. एफ. 1-27-95-चि.शि.-पचपन-मेडि-2.—मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1987 (क्रमांक 11 सन् 1990) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, 1 अप्रैल 1996 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिस तारीख को उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वी. एस. निरंजन, उपसचिव

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 1996

क्र. एफ. 1-27-95 चि.शि.-पचपन-मेडि-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 1-27-95-चि.शि.-पचपन-मेडि-2, दिनांक 29 मार्च 1996 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वी. एस. निरंजन, उपसचिव

Bhopal, the 29th March 1996

No. F.1-27-95-ME-LV-Med-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Madhya Pradesh Ayurvigyan Parishad Adhiniyam, 1987 (No. 11 of 1990), the State Government hereby appoint the 1st April, 1996 as the date on which the said Adhiniyam shall come into force.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
V. S. NIRANJAN, Dy. Secy.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-1996

डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-505/डब्ल्यू. पी.

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन 122 (एम. पी.)

M. P. MEDICAL COUNCIL
BHOPAL
No. 185
DATE 29-01-1997

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 235 भोपाल, मंगलवार, दिनांक 24 जुलाई 1990—श्रावण 2, शक 1912

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक २४ जुलाई १९९०

क्र. ५१८४-२१-अ(प्रा.)---मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक १० जुलाई, १९९० को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वि. वा. उमरेकर, उप सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ११ सन् १९९०.

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, १९८७.

विषय-सूची

अध्याय १—प्रारम्भिक.

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.
२. परिभाषाएं.

अध्याय २—परिषद् का गठन और रजिस्ट्रार तथा अन्य अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति.

३. राज्य आयुर्विज्ञान परिषद् का निगमन.
४. परिषद् का गठन.
५. निर्वाचन का ढंग.
६. नाम निर्देशन या सदस्यता पर निर्बन्धन.
७. सदस्यों की पदावधि.
८. परिषद् का सम्मिलन.
९. परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के लिये भत्ते.
१०. रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारी.

अध्याय ३–राज्य चिकित्सक रजिस्टर का तैयार किया जाना और रखा जाना.

११. रजिस्टर का तैयार किया जाना

१२. रजिस्टर का रखा जाना.

१३. अतिरिक्त अर्हताओं का रजिस्ट्रीकरण.

१४. रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी के विशेषाधिकार.

१५. राज्य चिकित्सक रजिस्टर में नाम के प्रविष्ट किये जाने का प्रतिषेध करने या उसमें से नाम के हटाये जाने का निदेश देने की परिषद की शक्ति.

१६. परिषद् द्वारा राज्य चिकित्सक रजिस्टर में परिवर्तन.

१७. जांचों में प्रक्रिया.

१८. परिषद् के विनिश्चय के विरुद्ध अपील.

अध्याय ४–परिषद् निधि.

१९. परिषद् निधि.

२०. वे उद्देश्य जिनके लिये परिषद् निधि उपयोजित की जा सकेगी.

अध्याय ५–प्रकीर्ण

२१ इस अधिनियम या केन्द्रीय अधिनियम, १९५६ का सं. १०२ में यथा उपबंधित के सिवाय व्यवसाय करने का प्रतिषेध.

२२. राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण.

२३. परिषद् द्वारा दी जाने वाली जानकारी और उसका प्रकाशन.

२४. शास्ति.

२५. रिक्ति के कारण कार्यवाहियां आदि अविधिमान्य नहीं होंगी.

२६. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.

२७. राज्य सरकार द्वारा नियम बनाने की शक्ति.

२८. परिषद् द्वारा विनियम बनाने की शक्ति.

अध्याय ६–निरसन और संक्रमणकालीन उपबंध.

२९. संक्रमणकालीन उपबंध.

३०. चिकित्सा व्यवसायियों को लागू होने वाले साधारण उपबंध.

३१. निरसन तथा अन्य परिणाम.

अनुसूची.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ११ सन् १९९०.

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, १९८७.

[दिनांक १० जुलाई, १९९० को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक २८ जुलाई, १९९० को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश में चिकित्सा व्यवसायियों के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित विधियों को समेकित और संशोधित करने तथा राज्य के लिए आयुर्विज्ञान परिषद् के गठन और उससे संसक्त विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़तीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय १—प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, १९८७ है.

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश पर है.

(३) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे.

परिभाषाएं.

२. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "परिषद्" से अभिप्रेत है धारा ३ के अधीन स्थापित मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद्;

(ख) "भारतीय चिकित्सक रजिस्टर" से अभिप्रेत है भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, १९५६ (१९५६ का सं. १०२) की धारा २१ के अधीन रखा गया रजिस्टर;

(ग) "आयुर्विज्ञान" से अभिप्रेत है आधुनिक आयुर्विज्ञान की समस्त शाखाएं और उसके अन्तर्गत शल्य विज्ञान और प्रसूति विज्ञान (आब्स्टेट्रिक्स) भी है किन्तु उसके अन्तर्गत पशु आयुर्विज्ञान और शल्य विज्ञान नहीं हैं ;

(घ) "मान्यता प्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता" से अभिप्रेत है—

(एक) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, १९५६ (१९५६ का सं. १०२) की अनुसूचियों में तत्समय सम्मिलित आयुर्विज्ञान अर्हताओं में से कोई अर्हता;

(दो) अनुसूची में विनिर्दिष्ट आयुर्विज्ञान अर्हताओं में से कोई अर्हता;

(ङ) "रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन राज्य चिकित्सक रजिस्टर में नामांकित कोई व्यक्ति;

(च) "विनियम" से अभिप्रेत है धारा ३८ के अधीन बनाया गया कोई विनियम;

(छ) "राज्य चिकित्सक रजिस्टर" से अभिप्रेत है धारा ११ के अधीन रखा गया रजिस्टर.

अध्याय २—परिषद् का गठन और रजिस्ट्रार तथा अन्य अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति.

राज्य आयुर्विज्ञान परिषद् का निगमन.

३. (१) राज्य सरकार, यथाशक्य शीघ्र, अधिसूचना द्वारा, राज्य के लिए एक आयुर्विज्ञान परिषद् की स्थापना ऐसी तारीख से करेगी जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए.

(२) परिषद् मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् के नाम से एक निगमित निकाय होगी और उसका शाश्वत उत्तराधिकार तथा सामान्य मुद्रा होगी और उसे जंगम तथा स्थावर दोनों प्रकार की सम्पत्ति अर्जित और धारण करने तथा इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, किसी ऐसी संपत्ति को जो उसके द्वारा धारित हो, अन्तरित करने तथा संविदा करने की और अपने गठन के प्रयोजनों के लिए आवश्यक समस्त अन्य बातें करने की शक्ति होगी और वह अपने निगमित नाम से वाद चला सकेगी तथा उक्त नाम से उसके विरुद्ध वाद चलाया जा सकेगा :

परन्तु परिषद्, राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना, अपने द्वारा धारित किसी संपत्ति को विक्रय, बंधक, पट्टे के रूप में या अन्यथा अंतरित नहीं करेगी या किसी व्यक्ति या प्राधिकरण से धन उधार नहीं लेगी.

परिषद् का गठन. ४. (१) परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(क) राज्य चिकित्सक रजिस्टर में नामांकित व्यक्तियों द्वारा अपने में से निर्वाचित पांच सदस्य;

(ख) पांच सदस्य जो राज्य सरकार द्वारा निम्नानुसार नाम निर्दिष्ट किये जाएंगे :—

(एक) इंडियन मेडिकल एसोसियेशन, मध्यप्रदेश राज्य शाखा द्वारा प्रस्तावित किये जाने वाले पांच व्यक्तियों के पैनल में से उक्त एसोसियेशन की राज्य शाखा का एक प्रतिनिधि;

(दो) राज्य में के विश्वविद्यालयों के आयुर्विज्ञान संकायों के सदस्यों में से एक सदस्य;

(तीन) मध्यप्रदेश स्वास्थ्य सेवाओं (मध्यप्रदेश हैल्थ सर्विसेज) में से दो सदस्य जो प्रथम वर्ग का पद धारण करते हों, जिनमें से एक महिला डाक्टर होगी;

(चार) राज्य में के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में से एक का संकायाध्यक्ष (डीन);

(ग) संचालक, चिकित्सा सेवाएं, मध्यप्रदेश (डायरेक्टर, मेडिकल सर्विसेज, मध्यप्रदेश);

(२) संचालक, चिकित्सा सेवाएं (डायरेक्टर मेडिकल सर्विसेज) परिषद् का अध्यक्ष होगा और संकायाध्यक्ष; परिषद् का उपाध्यक्ष होगा.

(३) उपधारा (१) के अधीन निर्वाचित या नाम निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति का नाम राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा और सदस्य ऐसे प्रकाशन की तारीख से अपना-अपना पद ग्रहण करेंगे और, उनकी पदावधि के प्रयोजनों के लिए; यह समझा जाएगा कि उन्होंने अपना-अपना पद ऐसे प्रकाशन की तारीख से ग्रहण कर लिया है.

(४) उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा तथा उसकी ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो अध्यक्ष द्वारा उसे सौंपी जाएं.

निर्वाचन का ढंग. ५. (१) धारा ४ की उपधारा (१) के खण्ड (क) के अधीन निर्वाचन का संचालन परिषद् द्वारा ऐसे नियमों के अनुसार किया जाएगा जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए जाएं.

(२) जहां परिषद् के लिए किसी निर्वाचन के संबंध में कोई विवाद उद्भूत होता है, वहां वह ऐसी रीति में तथा ऐसी कालावधि के भीतर, जो विहित की जाए, राज्य सरकार को निर्देशित किया जाएगा, और उस पर राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम और आबद्धकर होगा.

नाम निर्देशन या सदस्यता पर निर्बन्धन. ६. कोई भी व्यक्ति धारा ४ के अधीन निर्वाचन या नामनिर्देशन के लिए,—

(एक) पात्र नहीं होगा जब तक कि उसका नाम राज्य चिकित्सक रजिस्टर में न हो; और

(दो) दो से अधिक क्रमवर्ती अवधियों के लिए पात्र नहीं होगा.

सदस्यों की पदावधि. ७. (१) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुये, कोई निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट सदस्य उस तारीख से, जिसको वह धारा ४ की उपधारा (३) में उपबंधित किए गए अनुसार अपना पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा:

परन्तु पदावरोही सदस्य तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता.

(२) किसी निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट सदस्य के संबंध में यह समझा जाएगा कि उसने अपना स्थान रिक्त कर दिया है, यदि वह, परिषद् की राय में, पर्याप्त प्रतिहेतु के बिना, परिषद् के तीन क्रमवर्ती साधारण सम्मिलनों से अनुपस्थित रहता है, अथवा यदि वह रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी नहीं रह जाता है.

(३) परिषद् में की कोई आकस्मिक रिक्ति, यथासंभव शीघ्र, यथास्थिति निर्वाचन या नामनिर्देशन द्वारा भरी जाएगी और उस रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट किया गया व्यक्ति, अपने पूर्ववर्ती की अनवसित अवधि के लिए पद धारण करेगा.

(४) जहां किसी सदस्य की बाबत् उक्त पांच वर्ष की अवधि का अवसान होने वाला हो, वहां किसी पदोत्तर-वर्ती का निर्वाचन या नाम निर्देशन उक्त अवधि का अवसान होने के पूर्व तीन मास के भीतर किसी भी समय किया जा सकेगा किन्तु वह तब तक पद ग्रहण नहीं करेगा जब तक कि उक्त अवधि का अवसान न हो चुका हो.

८. (१) परिषद्, प्रत्येक वर्ष में कम से कम दो बार ऐसे समय और स्थान पर सम्मिलन करेगी जो अध्यक्ष द्वारा नियत किया जाए. परिषद् का सम्मिलन.

(२) जब तक विनियम द्वारा अन्यथा उपबंधित न किया जाए, परिषद् के पांच सदस्यों से, जिनमें से कम से कम एक प्रशासकीय सदस्य होगा, गणपूर्ति होगी और परिषद् के किसी सम्मिलन के समक्ष लाए गए समस्त प्रश्न, उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से विनिश्चित किए जाएंगे और मतों के बराबर-बराबर होने की दशा में, पीठासीन प्राधिकारी का द्वितीय या निर्णायक मत होगा.

९. परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को सम्मिलनों में हाजिर होने के लिये ऐसे भत्तों का संदाय किया जाएगा जैसा कि परिषद्, विनियमों द्वारा, अवधारित करे. परिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के लिए भत्ते.

१०. (१) परिषद् राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से, एक रजिस्ट्रार नियुक्त करेगी जो परिषद् के सचिव और कोषाध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा : रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारी.

परन्तु कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त किया जाने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी न हो :

परन्तु यह और भी कि धारा ३ की उपधारा (१) के अधीन परिषद् की स्थापना के लिए विनिर्दिष्ट की गई तारीख से प्रथम चार वर्षों के लिए, रजिस्ट्रार वह व्यक्ति होगा जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाए और वह अपना पद राज्य सरकार के प्रसादपर्यन्त धारण करेगा.

(२) परिषद्, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, अधिकारियों और सेवकों के उतने पद सृजित कर सकेगी जितने वह इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक समझे, और उन पर अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति कर सकेगी :

परन्तु उन पदों पर, जिनका न्यूनतम वेतन १८२० रुपये या उससे अधिक हो, परिषद् द्वारा नियुक्तियां, राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना नहीं की जाएंगी.

(३) रजिस्ट्रार के बारे में अर्हताएं, नियुक्ति और सेवा की शर्तें तथा वेतनमान ऐसे होंगे जो विहित किए जाएं और अन्य कर्मचारियों के बारे में वे ऐसे होंगे जो परिषद्, विनियमों द्वारा, उपबंधित करे.

(४) परिषद्, रजिस्ट्रार से या किसी अन्य कर्मचारी से उसके कर्तव्यों के सम्यक् पालन के लिए ऐसी प्रतिभूति अपेक्षित करेगी और लेगी जैसी कि वह आवश्यक समझे.

(५) इस धारा के अधीन परिषद् द्वारा नियुक्त रजिस्ट्रार और अन्य कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता, १८६० (१८६० का सं. ४५) की धारा २१ के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे.

अध्याय 3--राज्य चिकित्सक रजिस्टर का तैयार किया जाना और रखा जाना.

११. (१) रजिस्ट्रार, राज्य के लिए, चिकित्सा व्यवसायियों का एक राज्य चिकित्सक रजिस्टर इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार तैयार करेगा और रखेगा. रजिस्टर का तैयार किया जाना.

(२) राज्य चिकित्सक रजिस्टर ऐसे प्ररूप में होगा और उसे ऐसे भागों में विभाजित किया जाएगा जैसा कि विहित किया जाए. रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी का पूरा नाम, पता और अर्हताएं, वह तारीख जिसको प्रत्येक अर्हता प्राप्त की गई थी तथा ऐसी अन्य विशिष्टियां होंगी जो विहित की जाएं.

(३) कोई भी व्यक्ति, जो, मान्यता प्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता रखता है, किसी भी समय, रजिस्ट्रार को विहित प्ररूप में आवेदन करने पर तथा ऐसी फीस का, जो विनियम द्वारा विहित की जाए, संदाय करने पर और यथास्थिति अपनी उपाधि (डिग्री) या डिप्लोमा, प्रस्तुत करने पर, विहित औपचारिकताओं के पूरे हो जाने के पश्चात्, मामूली तौर से तीन मास के भीतर, अपना नाम राज्य चिकित्सक रजिस्टर में प्रविष्ट कराने का हकदार होगा :

परन्तु यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक मान्यता-प्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हताएं रखता है तो वह आवेदन में उन समस्त मान्यता प्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हताओं का उल्लेख करेगा जो वह आवेदन करने की तारीख को रखता है :

परन्तु यह और भी कि किसी ऐसे आवेदक को, जो पर्याप्त हेतुक से, अपनी उपाधि या डिप्लोमा प्रस्तुत करने में असमर्थ है, एक वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए, अनंतिम रजिस्ट्रीकरण किया जा सकेगा यदि वह परिषद् का यह समाधान कर देता है कि वह ऐसी उपाधि या डिप्लोमा धारण करता है.

(४) उपधारा (३) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का, जिसका नाम महाकोशल मेडिकल काउन्सिल या मेडिकल काउन्सिल, भोपाल द्वारा रखे गए रजिस्टर में, इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख के ठीक पूर्ववर्ती दिन को प्रविष्ट है, उसका नाम इस अधिनियम के अधीन तैयार किए गए राज्य चिकित्सक रजिस्टर में, उससे इस बात की अपेक्षा किए बिना प्रविष्ट किया जाएगा कि वह इस प्रयोजन के लिए आवेदन करे या किसी फीस का संदाय करे.

(५) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी को रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र विहित प्ररूप में दिया जाएगा. रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या उसकी प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि अपने व्यवसाय के स्थान में किसी सहजदृश्य भाग पर प्रदर्शित करेगा.

रजिस्टर का रखा जाना.

१२. (१) परिषद् के रजिस्ट्रार का यह कर्तव्य होगा कि वह इस अधिनियम के तथा परिषद् द्वारा दिए गए किन्हीं आदेशों के उपबन्धों के अनुसार, राज्य चिकित्सक रजिस्टर रखे, और समय-समय पर उस रजिस्टर को विहित रीति में पुनरीक्षित करे. रजिस्ट्रार, चिकित्सक रजिस्टर को राजपत्र में प्रकाशित करवाएगा और वर्ष के दौरान किया गया प्रत्येक परिवर्तन प्रतिवर्ष राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा.

(२) ऐसा रजिस्टर भारतीय साक्ष्य अधिनियम, १८७२ (१८७२ का सं. १) के अर्थ के अन्तर्गत लोक दस्तावेज समझा जाएगा और राजपत्र में प्रकाशित प्रति द्वारा साबित किया जा सकेगा.

अतिरिक्त अर्हताओं का रजिस्ट्रीकरण.

१३. (१) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी, जो राज्य चिकित्सक रजिस्टर में अपना नाम प्रविष्ट किए जाने के पश्चात्, कोई ऐसी पदवी (टाइटिल) उपाधि या डिप्लोमा, जो मान्यता प्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता है, प्राप्त कर लेता है, तो वह उसकी प्रविष्टि इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार राज्य चिकित्सक रजिस्टर में करवाने के लिए आबद्ध होगा.

(२) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी, जिसे उपधारा (१) लागू होती है, कोई पदवी, उपाधि या डिप्लोमा, जो मान्यता-प्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता है, प्राप्त कर लेने पर, ऐसी पदवी, उपाधि या डिप्लोमा की प्रविष्टि राज्य चिकित्सक रजिस्टर में या तो पूर्व में की गई किसी प्रविष्टि के स्थान पर या उसके अतिरिक्त कराने के लिए, ऐसे प्ररूप में और ऐसी कालावधि के भीतर जो विहित की जाए, तथा प्राप्त की गई प्रत्येक अर्हता के लिए ऐसी फीस, जो विनियमों द्वारा विहित की जाए, के साथ परिषद् को आवेदन करेगा :

परन्तु जहां ऐसी पदवी, उपाधि या डिप्लोमा इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख के पूर्व प्राप्त किया गया हो, वहां ऐसा आवेदन ऐसे प्रारम्भ की तारीख से छह मास के भीतर किया जाएगा.

(३) उपधारा (१) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, परिषद् पदवी, उपाधि या डिप्लोमा की प्रविष्टि, विहित औपचारिकताओं के पूरे हो जाने के पश्चात्, मामूली तौर से तीन मास के भीतर, राज्य चिकित्सक रजिस्टर में करेगी.

(४) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी, जिसने कोई अतिरिक्त अर्हता प्राप्त कर ली है, ऐसी अर्हता का उपयोग व्यवसाय के प्रयोजन के लिए या किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए अथवा व्यवसाय के दौरान उससे कोई लाभ प्राप्त करने के लिए या नियोजन के प्रयोजन के लिए करने का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक कि उसने उस अर्हता की प्रविष्टि इस धारा के उपबन्धों के अनुसार राज्य चिकित्सक रजिस्टर में न करा ली हो.

रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी के विशेषाधिकार.

१४. (१) इस अधिनियम या भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, १९५६ (१९५६ का सं. १०२) में कतिपय मान्यता-प्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हताएं रखने वाले व्यक्तियों द्वारा चिकित्सा व्यवसाय किए जाने के बारे में जो शर्तें और निर्बन्धन अधिकथित हैं, उनके अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जिसका नाम राज्य चिकित्सक रजिस्टर में तत्समय है, इस बात का हकदार होगा कि वह अपनी अर्हताओं के अनुसार, राज्य के भीतर चिकित्सा व्यवसायी के रूप में व्यवसाय करे और ऐसे व्यवसाय के संबंध में औषधियों (मेडिकामेन्ट्स) या अन्य साधित्रों की बाबत् कोई व्यय, प्रभार या कोई फीस, जिनका कि वह हकदार हो, वसूल करे.

(२) किसी विधि द्वारा या उसके अधीन किसी चिकित्सा व्यवसायी द्वारा दिया जाने के लिये अपेक्षित प्रमाण-पत्र तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि वह किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी द्वारा हस्ताक्षरित न हो और उस पर उसके नाम तथा रजिस्ट्रीकरण क्रमांक की मुद्रा न लगी हो.

(३) रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी द्वारा दिए गए प्रत्येक औषध-पत्र (प्रेस्क्रिप्शन) पर ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी के नाम तथा रजिस्ट्रीकरण क्रमांक की मुद्रा होगी.

(४) रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी से भिन्न कोई भी व्यक्ति किसी अस्पताल, पागलखाने, रुग्णालय, औषधालय या किसी अन्य आयुर्विज्ञान संस्था में चिकित्सक (फिजिशियन), शल्य चिकित्सक या चिकित्सा अधिकारी के रूप में या स्वास्थ्य अथवा आयुर्विज्ञान की किसी अन्य संबद्ध शाखा में चिकित्सा अधिकारी के रूप में कोई भी पद धारण करने का पात्र नहीं होगा.

राज्य चिकित्सक रजिस्टर में नाम के प्रविष्ट किए जाने का प्रतिषेध करने या उसमें से नाम के हटाए जाने का निर्देश देने की परिषद् की शक्ति.

१५. परिषद्, रजिस्ट्रार से निर्देश प्राप्त होने पर या अन्यथा, राज्य चिकित्सक रजिस्टर में किसी ऐसे व्यक्ति का नाम प्रविष्ट किए जाने का प्रतिषेध कर सकेगी या उस रजिस्टर में से किसी ऐसे व्यक्ति का नाम हटाए जाने का आदेश दे सकेगी—

(क) जिसे किसी दण्ड न्यायालय ने किसी ऐसे अपराध के लिए कारावास से दण्डादिष्ट किया हो जो परिषद् की राय में उसके चरित्र में कोई ऐसा दोष उपदर्शित करता हो कि जिससे राज्य चिकित्सक रजिस्टर में उसका नामांकन किया जाना या राज्य चिकित्सक रजिस्टर में उसके नाम का बना रहना अवांछनीय हो जाए; या

(ख) जिसे परिषद् ने, ऐसी जांच के पश्चात् जिसमें उसे स्वयं सुनवाई का अवसर दिया गया हो और जो परिषद् के विवेकानुसार बन्द कमरे में की जा सकेगी, परिषद् के सम्मिलन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत द्वारा, किन्तु ऐसे सदस्य पांच से कम नहीं होंगे, किसी वृत्तिक प्रसंग में गर्हित आचरण का दोषी पाया हो.

परिषद् द्वारा राज्य चिकित्सक रजिस्टर में परिवर्तन.

१६. (१) परिषद्, सम्बंधित व्यक्ति को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर देने और उसके आक्षेपों की, यदि कोई हों, जांच करने के पश्चात्, यह आदेश दे सकेगी कि राज्य चिकित्सक रजिस्टर में की कोई ऐसी प्रविष्टि, जो परिषद् की राय में, कपटपूर्वक या गलती से की गई है, या करवा दी गई है, रद्द कर दी जाए या संशोधित की जाए.

(२) परिषद् किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी का नाम राज्य चिकित्सक रजिस्टर में से सदैव के लिए या किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए हटाए जाने का निदेश उन्हीं कारणों से दे सकेगी जिनके आधार पर उसके द्वारा रजिस्ट्रीकरण का धारा १५ के अधीन प्रतिषेध किया जा सकता है.

(३) परिषद् यह निदेश दे सकेगी कि उपधारा (२) के अधीन हटाया गया कोई भी नाम, ऐसी शर्तों के, यदि कोई हों, जिन्हें परिषद् अधिरोपित करना उचित समझे, अध्यधीन रहते हुए, पुनः स्थापित किया जाए.

जांचों में प्रक्रिया.

१७. धारा १२, १५ या १६ के अधीन किसी जांच के प्रयोजन के लिए, परिषद् या धारा ३६ के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा प्राधिकृत कोई समिति, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, १८७२ (१८७२ का सं. १) के अर्थ के अन्तर्गत न्यायालय समझी जाएगी, और वह लोक सेवक (जांच) अधिनियम, १८५० (१८५० का सं. ३७) के अधीन नियुक्त आयुक्त की समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगी, और ऐसी जांचें यथाशक्य लोक सेवक (जांच) अधिनियम, १८५० (१८५० का सं. ३७) की धारा ५ के तथा धारा ८ से २० तक के उपबन्धों के अनुसार संचालित की जाएंगी.

परिषद् के विनिश्चय के विरुद्ध अपील.

१८. (१) कोई भी व्यक्ति, जो धारा १२, १५ या १६ के अधीन किए गए परिषद् के विनिश्चय से व्यथित हो, राज्य सरकार को अपील कर सकेगा.

(२) उपधारा (१) के अधीन कोई अपील, ऐसे विनिश्चय की प्रतिलिपि सम्बंधित पक्षकार को प्राप्त होने की तारीख से तीन मास के भीतर की जाएगी और उसके साथ ऐसी फीस होगी जो विनियम द्वारा विहित की जाए.

अध्याय ४—परिषद् निधि

परिषद् निधि.

१९. (१) परिषद् एक निधि स्थापित करेगी जो परिषद् निधि कहलाएगी.

(२) निम्नलिखित परिषद् निधि के भाग रूप होंगे, या उनका उसमें संदाय किया जाएगा :—

(क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा कोई अभिदाय या अनुदान;

(ख) फीस से हुई आय को सम्मिलित करते हुए, परिषद् की समस्त स्रोतों से आय;

(ग) न्यास, वसीयत (विक्वेस्ट), संदान, विन्यास और अन्य अनुदान, यदि कोई हों;

(घ) परिषद् द्वारा प्राप्त समस्त अन्य धनराशियां.

वे उद्देश्य जिनके लिए परिषद् निधि उपयोजित की जा सकेगी.

२०. परिषद् निधि निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए उपयोज्य होगी, अर्थात् :—

(क) उन ऋणों के प्रतिसंदाय के लिए जो परिषद् द्वारा इस अधिनियम के और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा विनियमों के प्रयोजनों के लिए उपगत किए गए हों ;

(ख) किन्हीं ऐसे वाद या किन्हीं ऐसी कार्यवाहियों के व्ययों के लिए जिनमें परिषद् एक पक्षकार हो;

(ग) परिषद् के कर्मचारियों के वेतनों तथा भत्तों के संदाय के लिए;

(घ) परिषद् के पदाधिकारियों (आफिस बियरर्स) को भत्तों के संदाय के लिए ;

(ङ) किन्हीं ऐसे व्ययों के संदाय के लिए जो इस अधिनियम के और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा विनियमों के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में परिषद् द्वारा उपगत किए गए हों.

अध्याय 5—प्रकीर्ण.

इस अधिनियम या केन्द्रीय अधिनियम, १९५६ का सं. १०२ में यथा उपबंधित के सिवाय व्यवसाय करने का प्रतिषेध.

२१. इस अधिनियम या भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, १९५६ (१९५६ का सं. १०२) में यथा उपबंधित के सिवाय, कोई भी व्यक्ति राज्य के भीतर चिकित्सा व्यवसाय नहीं करेगा अथवा स्वयं को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः इस रूप में व्यपदेशित नहीं करेगा कि वह चिकित्सा-व्यवसाय करता है.

राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण.

२२. यदि किसी भी समय राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि परिषद् ने इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों में से किसी शक्ति का प्रयोग करने में चूक की है या अतिरेक किया है या उसका दुरुपयोग किया है अथवा इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित कर्त्तव्यों में से किसी कर्त्तव्य का पालन करने में चूक की है, तो राज्य सरकार, यदि वह ऐसी चूक, अतिरेक या दुरुपयोग को गंभीर प्रकृति का समझती है, उसकी विशिष्टियां परिषद् को अधिसूचित कर सकेगी, और यदि परिषद् ऐसे समय के भीतर, जो राज्य सरकार इस निमित्त नियत करे, ऐसी चूक, अतिरेक या दुरुपयोग का उपचार करने में असफल रहती है, तो राज्य सरकार, परिषद् को दो वर्ष की कालावधि के लिए, जो राज्य सरकार द्वारा एक बार में एक वर्ष से अधिक न होने वाली कालावधि के लिए बढ़ाई जा सकेगी, विघटित कर सकेगी, किन्तु विघटन की कालावधि कुल मिलाकर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी, और परिषद् की समस्त शक्तियों और कर्तव्यों या उनमें से किसी शक्ति और कर्तव्य का प्रयोग और पालन ऐसे व्यक्ति द्वारा, और ऐसी कालावधि के लिए जिसे वह ठीक समझे, करना सकेगी और नई परिषद् को अस्तित्व में लाने की कार्यवाही करेगी.

परिषद् द्वारा दी जाने वाली जानकारी और उसका प्रकाशन.

२३. (१) परिषद् ऐसी रिपोर्ट, अपने ऐसे कार्यवृत्तों की प्रतिलिपियां, अपने ऐसे लेखाओं की संक्षिप्तियां (एब्स्ट्रेक्ट्स) तथा ऐसी अन्य जानकारी राज्य सरकार को देगी जो राज्य सरकार अपेक्षित करे.

(२) राज्य सरकार, इस धारा के अधीन उसे दी गई किसी रिपोर्ट, प्रतिलिपि, संक्षिप्त या अन्य जानकारी को ऐसी रीति में प्रकाशित कर सकेगी जैसी कि वह उचित समझे.

शास्ति.

२४. यदि कोई व्यक्ति, जिसका नाम राज्य चिकित्सक रजिस्टर में अंकित नहीं है, रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के रूप में व्यवसाय करेगा तो वह, कठोर कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा :

परन्तु—

(एक) ऐसा व्यक्ति, जो केवल इन आयुर्वेदिक विथ मार्डन मेडिसिन एण्ड सर्जरी की उपाधि रखता हो और मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड में रजिस्ट्रीकृत हो, इतर चिकित्सीय औषधियां (एलोपैथिक मेडिसिन्स) विहित करने या शल्य चिकित्सा व्यवसाय करने के लिये, इस धारा के अधीन दण्डनीय नहीं होगा यदि उसका रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र उसे ऐसा करने के लिए प्राधिकृत करता है;

(दो) ऐसा चिकित्सा व्यवसायी, जो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, १९५६ (१९५६ का सं. १०२) की धारा २७ के विशेषाधिकारों का हकदार हो, मध्यप्रदेश में उसका रजिस्ट्रीकरण न होने के कारण इस धारा के अधीन दण्डनीय नहीं होगा.

रिक्ति के कारण कार्यवाहियां आदि अविधिमान्य नहीं होंगी.

२५. परिषद् का कोई कार्य या उसकी कोई कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि—

(क) उसमें कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है; या

(ख) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के निर्वाचन या नामनिर्देशन में कोई त्रुटि है; या

(ग) उसकी प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है जो मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं डालती है.

२६. इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी भी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही राज्य सरकार, परिषद् या उसकी किसी समिति, या सरकार के या परिषद् के किसी अधिकारी या सेवक के विरुद्ध नहीं होगी. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.

२७. (१) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, अधिसूचना द्वारा बना सकेगी. राज्य सरकार द्वारा नियम बनाने की शक्ति.

(२) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी भी विषय के लिए उपबंध हो सकेंगे, अर्थात् :—

(क) रजिस्ट्रार की अर्हताएं, नियुक्ति तथा सेवा की शर्तें, उसका वेतनमान, पदावधि तथा शक्तियां और कर्त्तव्य;

(ख) कोई भी अन्य विषय जो विहित किया जाना हो या विहित किया जाए.

(३) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समस्त नियम विधान सभा के पटल पर रखे जायेंगे.

२८. परिषद्, साधारणतः इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए विनियम, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से बना सकेगी, और इस शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमों में निम्नलिखित के लिए उपबंध हो सकेंगे :— परिषद् द्वारा विनियम बनाने की शक्ति.

(क) परिषद् की संपत्ति का प्रबंध तथा उसके लेखाओं का रखा जाना और उनकी संपरीक्षा;

(ख) परिषद् के सम्मिलनों का बुलाया जाना और किया जाना, वह समय जब और वह स्थान जहां ऐसे सम्मिलन किए जाने हों तथा उनमें कामकाज का संचालन;

(ग) परिषद् के सदस्यों का त्यागपत्र;

(घ) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शक्तियां तथा कर्त्तव्य;

(ङ) समिति की नियुक्ति का ढंग, ऐसी समितियों के सम्मिलनों का बुलाया जाना और किया जाना तथा ऐसी समितियों के कामकाज का संचालन;

(च) परिषद् के अन्य कर्मचारियों की अर्हताएं और सेवा की शर्तें;

(छ) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के आवेदन में कथित की जाने वाली विशिष्टियां तथा उसके साथ दिया जाने वाला अर्हताओं का सबूत;

(ज) इस अधिनियम के अधीन किए गए आवेदनों तथा अपीलों पर संदत्त की जाने वाली फीस;

(झ) राज्य चिकित्सक रजिस्टर में अतिरिक्त अर्हता प्रविष्ट कराने के लिए संदत्त की जाने वाली फीस; और

(ञ) कोई भी विषय जिसके कि लिए इस अधिनियम के अधीन उपबंध विनियमों द्वारा किया जा सकता हो.

अध्याय ६—निरसन और संक्रमणकालीन उपबंध

२९. (१) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार परिषद् को अस्तित्व में लाने के लिए, संचालक, चिकित्सा सेवाएं, मध्यप्रदेश को इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात् प्रथम बार स्थापित की जाने वाली परिषद् के निर्वाचन का संचालन करने के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त कर सकेगी. संक्रमणकालीन उपबंध.

(२) धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन परिषद् की स्थापना होने तक, उपधारा (१) के अधीन नियुक्त विशेष अधिकारी को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, धारा ३ की उपधारा (१) के अधीन स्थापित परिषद् समझा जाएगा. और वह परिषद् की शक्तियों का प्रयोग और उसके कृत्यों का निर्वहन करेगा.

३०. इस अधिनियम के उपबंध, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, १९५६ (१९५६ का सं. १०२), के उन उपबंधों के, जिनमें समस्त चिकित्सा व्यवसायियों को लागू होने वाले साधारण उपबंध अन्तर्विष्ट हैं, अतिरिक्त हैं, न कि उनके अल्पीकारक. चिकित्सा व्यवसायियों को लागू होने वाले साधारण उपबंध.

३१. इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से, निम्नलिखित परिणाम होंगे, अर्थात् :— निरसन तथा अन्य परिणाम.

(क) सेन्ट्रल प्राविन्सेज एण्ड बरार मेडिकल रजिस्ट्रेशन एक्ट, १९१६ (क्रमांक 1 सन् १९१६), और मध्यप्रदेश स्टेट्यूटरी बॉडीज (टेम्पोरल सन्स्टीट्यूशन) एक्ट, १९५६ (क्रमांक १७ सन् १९५६) जहां तक कि वह उक्त एक्ट से सम्बन्धित है, मध्यभारत चिकित्सा व्यवसायी रजिस्ट्रीकरण विधान, १९५४

(विधान क्रमांक १६ सन् १९५४), तथा मेडिकल प्रेक्टिशनर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट, १९३५ (भोपाल एक्ट क्रमांक ७ सन् १९३५), जहां तक कि वह धारा २ के खण्ड (ग) में यथापरिभाषित चिकित्सा व्यवसाय करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यवसायियों से सम्बंधित है, निरस्त हो जायेंगे;

(ख) महाकौशल मेडिकल काउन्सिल, मध्य भारत (रीजन) चिकित्सा परिषद् तथा मेडिकल प्रेक्टिशनर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट, १९३५ (भोपाल एक्ट क्रमांक ७ सन् १९३५) की धारा ३ के अधीन स्थापित मेडिकल काउन्सिल विघटित हो जाएंगी;

(ग) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट काउन्सिल/परिषद् की समस्त आस्तियां और दायित्व, धारा 3 के अधीन स्थापित या स्थापित समझी गई परिषद् की आस्तियां तथा दायित्व हो जायेंगे और समझे जायेंगे;

(घ) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट काउन्सिल/परिषद् के समस्त अभिलेख और कागजपत्र, धारा ३ के अधीन स्थापित या स्थापित समझी गई परिषद् में निहित हो जायेंगे और उसे अन्तरित कर दिए जायेंगे.

अनुसूची

[धारा २ (घ) देखिए]

आयुर्विज्ञान संस्था जिसके द्वारा प्रदान की गई है	मान्यता-प्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हताएं	रजिस्ट्रीकरण के लिए संक्षेपाक्षर
(१)	(२)	(३)
रावर्टसन मेडिकल स्कूल, नागपुर	रूरल मेडिकल प्रेक्टिशनर डिप्लोमा इन मेडिकल प्रेक्टिस	आर. एम. पी. डी. एम. पी.

भोपाल, दिनांक 21 जुलाई 1990

क्र. 5185-इक्कीस-अ. (प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1987 (क्रमांक 11 सन् 1990) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

वि. वा. उमरेकर, उपसचिव.

MADHYA PRADESH AYURVIGYAN PARISHAD

ADHINIYAM, 1987

MADHYA PRADESH ACT

No. 11 of 1990

THE MADHYA PRADESH AYURVIGYAN PARISHAD ADHINIYAM, 1987.

TABLE OF CONTENTS

Sections :

CHAPTER I—PRELIMINARY

1. Short title extent and commencement.
2. Definitions.

CHAPTER II—CONSTITUTION OF THE COUNCIL AND APPOINTMENT OF REGISTRAR AND OTHER OFFICERS AND SERVANTS.

3. Incorporation of State Medical Council.
4. Constitution of Council.
5. Mode of Election.
6. Restriction on nomination or membership.
7. Terms of office of members.
8. Meeting of Council.
9. Allowances to President, Vice-President and Members of the Council.
10. Registrar and others officers.

CHAPTER III—PREPARATION AND MAINTENANCE OF STATE MEDICAL REGISTER

11. Preparation of Register.
12. Maintenance of Register.
13. Registration of additional qualifications.
14. Privileges of registered practitioner.
15. Power of Council to prohibit entry or to direct removal from State Medical Register.
16. Alteration of State Medical Register by Council.
17. Procedure in enquiries.
18. Appeal against decision of council.

CHAPTER IV—COUNCIL FUND

19. Council Fund.
20. Objects to which Council Fund may be applied.

CHAPTER V—MISCELLANEOUS

21. Prohibition from practice except as provided in this Act or Central Act No. 102 of 1956.
22. Control by State Government.
23. Information to be furnished by Council and publication thereof.
24. Penalty.
25. Vacancy not to invalidate proceedings etc.
26. Protection of action taken in good faith.
27. Power to make rules by State Government.
28. Power to make regulations by Council.

CHAPTER VI—REPPEAL AND TRANSITIONAL PROVISIONS

29. Transitional provisions.
30. General provisions applicable to medical practitioners.
31. Repeal and other consequences.

SCHEDULE

MADHYA PRADESH ACT

No. 11 of 1990

THE MADHYA PRADESH AYURVIGYAN PARISHAD ADHINIYAM, 1987.

[Received assent of the President on the 10th July 1990; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 24th July, 1990.]

An Act to consolidate and amend the laws relating to registration of practitioners of medicine in Madhya Pradesh and to make provisions for constitution of the Medical Council for the State and for matters connected therewith.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Thirty-Eighth Year of the Republic of India as follows :—

CHAPTER I—PRELIMINARY

Short title extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Ayurvigyan Parishad Adhiniyam, 1987.

(2) It extends to the whole of Madhya Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "Council" means the Madhya Pradesh Ayurvigyan Parishad established under section 3 ;

(b) "Indian Medical Register" means the register maintained by the Medical Council of India under section 21 of the Indian Medical Council Act, 1956 (No. 102 of 1956);

(c) "Medicine" means modern scientific medicine in all its branches and includes surgery and obstetrics, but does not include veterinary medicine and surgery ;

(d) "recognised medical qualification" means—

(i) any of the medical qualifications for the time being, included in the Schedules to the Indian Medical Council Act, 1956 (No. 102 of 1956);

(ii) any of the medical qualifications specified in the Schedule ;

(e) "registered practitioner" means any person enrolled on the State Medical Register under the Provisions of this Act ;

(f) "regulation" means a regulation made under section 28 ;

(g) "State Medical Register" means a register maintained under Section 11.

CHAPTER II—CONSTITUTION OF THE COUNCIL AND APPOINTMENT OF REGISTRAR AND OTHER OFFICERS AND SERVANTS.

Incorporation of State Medical Council.

3. (1) The State Government shall, as soon as may be, establish, by notification a Medical Council for the State with effect from such date as may be specified therein.

(2) The Council shall be a body corporate by the name of the Madhya Pradesh Ayurvigyan Parishad and shall have perpetual succession and a common seal with power to acquire and hold property, both movable and immovable, and subject to the provisions of this Act to transfer any property held by it and to contract and do all other things necessary for the purposes of its constitution and may sue and be sued in its corporate name:

Provided that the council shall not transfer any property held by it by way of sale, mortgage, lease or otherwise or borrow money from any person or agency without the previous permission of the State Government.

Constitution of Council.

4. (1) The Council shall consist of the following members, namely :—

(a) five members elected from amongst themselves by persons enrolled on the State Medical Register ;

(b) five members to be nominated by the State Government as follows —

(i) one representative of the Indian Medical Association, Madhya Pradesh State Branch out of the panel of five persons to be proposed by the State Branch of the said Association ;

(ii) one member from amongst the member of Medical faculties of the Universities in the State ;

(iii) two members from amongst the Madhya Pradesh Health Services holding class I post out of whom one shall be a lady doctor ;

(iv) a Dean of one of the Government medical colleges in the State ;

(c) Director Medical Services, Madhya Pradesh.

(2) The Director of Medical Services shall be the President of the Council and the Dean shall be the Vice-President of the Council.

(3) The name of every person elected or nominated under sub-section (1) shall be published in the Gazette and the members shall enter and shall, for the purposes of their term, be deemed to have entered upon their respective offices with effect from the date of such publication.

(4) The Vice-President shall perform such duties and exercise such powers of the President as may be assigned to him by the President.

Mode of Election.

5. (1) An election under clause (a) of sub-section (1) of Section (4) shall be conducted by the Council in accordance with such rules as may be made by the State Government in this behalf.

(2) Where any dispute arises regarding any election to the Council, it shall be referred to the State Government in such manner and within such period as may be prescribed and the decision of the State Government thereon shall be final and binding

Restriction on nomination or membership.

6. No person shall be eligible for election or nomination under Section 4,—

(i) unless his name is borne on the State Medical Register ; and

(ii) for more than two consecutive terms.

Terms of office of members.

7. (1) Subject to the provisions of this Act, an elected or nominated member shall hold office for a term of five years from the date he enters upon his office as provided in sub-section (3) of Section 4 :

Provided that an outgoing member shall continue to hold office till his successor enters upon his office.

(2) An elected or nominated member shall be deemed to have vacated his seat if, in the opinion of the Council, he is absent without sufficient excuse from three consecutive ordinary meetings of the Council or, if he ceases to be a registered practitioner.

(3) A casual vacancy in the Council shall be filled as soon as possible by election or nomination, as the case may be, and the person elected or nominated to fill the vacancy shall hold office for the unexpired term of his predecessor.

(4) Where the said term of five years is about to expire in respect of any member, a successor may be elected or nominated at any time within three months before the said term expires, but he shall not assume office until the said term has expired.

Meeting of Council.

8. (1) The Council shall meet atleast twice in each year at such time and place as may be fixed by the President.

(2) Unless otherwise provided by regulation, five members of the Council out of whom atleast one shall be a non-official member shall form a quorum and all questions brought before any meeting of the Council shall be decided by majority of the members present and voting and in the case of an equality of votes, the presiding authority shall have a second or casting vote.

Allowances to President, Vice-President and Members of the Council

9. The President, the Vice-President and Members of the Council shall be paid such allowances for attending meetings as the Council may, by regulations, determine.

Registrar and other officers.

10. (1) The Council shall, with the previous sanction of the State Government, appoint a Registrar who shall act as Secretary and Treasurer of the Council :

Provided that no person shall be eligible for being appointed as Registrar unless he is a registered practitioner :

Provided further that for the first four years from the date specified for the establishment of the Council under sub-section (1) of Section 3, the Registrar shall be a person appointed by the State Government who shall hold office during the pleasure of the State Government.

(2) The Council may, with the previous approval of State Government, create as many posts of officers and servants as it may deem necessary to carry out the provisions of this Act and may appoint officers and servants thereto:

Provided that appointments to the posts, the minimum pay of which is Rs. 1820.00 or above, shall not be made by the Council without obtaining the previous approval of the State Government.

(3) The qualifications, the conditions of appointment and service and scale of pay as respects the Registrar shall be such as may be prescribed and as regards the other employees, shall be such as the Council may, by regulations, provide.

(4) The Council shall require and take from the Registrar, or from any other employee, such security for the due performance of his duties as the Council deems necessary.

(5) The Registrar and other employees appointed by the Council under this section shall be deemed to be public servants within the meaning of Section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860).

CHAPTER III—PREPARATION AND MAINTENANEC OF STATE MEDICAL REGISTER

11. (1) The Registrar shall prepare and maintain a State medical register of medical practitioners for the State, in accordance with the provisions of this Act. Preparation of Register.

(2) The State medical register shall be in such form, and shall be devided into such parts as may be prescribed. The register shall include the full name, address and qualifications of the registered practitioner, the date on which each qualification was obtained and such other particulars as may be prescribed.

(3) Any person who possesses a recognised medical qualification shall, at any time on an application made in the prescribed form to the Registrar and on payment of a fee as may be prescribed by regulation and on presentation of his degree or diploma, as the case may be, be entitled to have his name entered in the State medical register ordinarily within three months after completion of prescribed formalities:

Provided that if a person possesses more than recognised medical qualifications, he shall mention in the application all the recognised medical qualifications which he possesses on the date he makes the application:

Provided further that the applicant who is unable to present for sufficient cause, his degree or diploma may be granted a provisional registration for a period not exceeding one year if he satisfies the Council that he holds such a degree or diploma.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-section (3) the name of every person which on the day immediately preceding the date of commencement of this Act stands entered in the register kept by the Mahakoshal

Medical Council or the Medical Council, Bhopal shall be entered in the State medical register prepared under this Act, without such person being required to make an application, or to pay any fee for this purpose.

(5) Every registered practitioner shall be given a certificate of registration in the prescribed form. The registered practitioner shall display the certificate or certified true copy of the certificate of registration at a conspicuous part in the place of his practice.

Maintenance of register.

12. (1) It shall be the duty of the Registrar of the Council to keep the State Medical Register in accordance with the provisions of this Act and of any orders made by the Council and from time to time revise the register in the manner prescribed. The Registrar shall get the medical register published in the Gazette and every change made during the course of a year shall be published annually in the Gazette.

(2) Such register shall be deemed to be a public document within the meaning of the Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872), and may be proved by a copy published in the Gazette.

Registration of additional qualifications.

13. (1) Every registered practitioner who after the entry of his name in the State Medical Register, obtains any title, degree of diploma which is a recognised medical qualification shall be bound to get the same entered in the State Medical Register in accordance with the provisions of this Act.

(2) Every registered practitioner to whom sub-section (1) applies shall, on obtaining any title, degree or diploma which is a recognised medical qualification, make an application to the Council in such form and within such period as may be prescribed together with such fee as may be prescribed by regulations for each qualification obtained for entering such title, degree or diploma in the State Medical Register either in substitution for, or in addition to, any entry previously made :

Provided that where such title, degree or diploma has been obtained prior to the date of commencement of this Act, such application shall be made within six months from the date of such commencement.

(3) On receipt of the application under sub-section (1), the Council shall enter the title, degree or diploma in the State Medical Register ordinarily within three months after completion of prescribed formality.

(4) No registered practitioner who has obtained any additional qualifiation shall be entitled to use such qualification for the purpose of practice or any other purpose whatsoever or derive any advantage therefrom during the course of practice or for the purpose of employment unless he gets that qualification registered in the State Medical Register in accordance with the provision of this section.

Privileges of registered practitioners.

14. (1) Subject to the conditions and restrictions laid down in this Act or the Indian Medical Council Act, 1956 (No. 102 of 1956), regarding medical practice by persons possessing certain recognised medical qualification, every person whose name is for the time being borne on the State Medical

Register shall be entitled, according to his qualifications to practice as a medical practitioner within the State and to recover in respect of such practice any expenses, charges in respect of medicaments or other appliances or any fees to which he may be entitled.

(2) No certificate required by or under any law to be given by a medical practitioner shall be valid unless it is signed by a registered practitioner and bears the seal of his name and registration number.

(3) Every prescription issued by a registered practitioner shall have seal of the name and registration number of such registered practitioner.

(4) No person other than a registered practitioner shall be eligible to hold any appointment as physician, surgeon or medical officer in any hospital, asylum, infirmary, dispensary or any other medical institution or medical officer of health in any other allied branch of medicine.

Power of Council to prohibit entry or to direct removal from State Medical Register.

15. The Council may, upon reference from the Registrar or otherwise prohibit the entry in, or order the removal from, the State Medical Register of the name of any person.—

(a) who has been sentenced by a Criminal Court to imprisonment for an offence indicating in the opinion of the Council such a defect in character as would render the enrolment or continuance of his name in the State Medical Register undesirable : or

(b) whom the Council after enquiry at which opportunity has been given to him to be heard in person and which may at the discretion of Council be held in camera, finds guilty of infamous conduct in any professional respect by a majority of two-thirds of the members of the Council present and voting at the meeting but such number shall not be less than five.

Alteration of State Medical Register by Council.

16. (1) The Council may after giving the person concerned reasonable opportunity of being heard and enquiring into his objections, if any, order that any entry in the State Medical Register which in the opinion of the Council, has been fraudulently or incorrectly made or brought about, be cancelled or amended.

(2) The Council may direct the removal altogether or for a specified period from the State Medical Register of the name of any registered practitioner for the same reasons for which registration may be prohibited by the Council under Section 15.

(3) The Council may direct that any name removed under sub-section (2) shall be restored subject to such conditions, if any, which the Council may deem fit to impose.

Procedure in enquiries.

17. For the purpose of any enquiry under Sections 12, 15 or 16 the Council or any Committee authorised by rules made under Section 29 shall be deemed to be a Court within the meaning of the Indian Evidence Act, 1872 (No. 1 of 1872), and shall exercise all the powers of a Commissioner appointed under the Public Servants (Inquiries) Act, 1850 (No. 37 of 1850),

and such enquiries shall be conducted, as far as may be, in accordance with the provisions of Section 5 and Sections 8 to 20 of the Public Servants (Inquiries) Act, 1850 (No. 37 of 1850).

Appeal against decision of Council.

18. (1) Any person aggrieved by the decision of the Council under Sections 12, 15 or 16 may prefer an appeal to the State Government.

(2) An appeal under sub-section (1) shall be preferred within three months from the date of the receipt by the party concerned of a copy of such decision and it shall be accompanied by such fee as may be prescribed by regulation.

CHAPTER IV—COUNCIL FUND

Council Fund.

19. (1) The Council shall establish a fund to be called the Council Fund.

(2) The following shall form part of, or be paid into, the Council Fund :—

(a) any contribution or grant by the Central Government or State Government ;

(b) the income of the Council from all sources including income from fees ;

(c) trusts, bequests, donations, endowments and other grants, if any ;

(d) all other sums received by the Council.

Objects to which council Fund may be applied.

20. The Council Fund shall be applicable to the following objects, namely :—

(a) to the repayment of debts incurred by the Council for the purposes of this Act and the rules and regulations made thereunder ;

(b) to the expenses of any suit or proceedings to which the Council is a party ;

(c) to the payment of the salaries and allowances of the employees of the Council ;

(d) to the payment of allowances to the office bearers of the Council ;

(e) to the payment of any expenses incurred by the Council in carrying out the provisions of this Act and the rules and the regulations made thereunder.

CHAPTER V—MISCELLANEOUS

Prohibition from practice except as provided in this Act or Central Act No. 102 of 1956.

21. Save as provided in this Act or the Indian Medical Council Act, 1956 (No. 102 of 1956), no person shall practice or hold himself out, whether directly or indirectly as practising medicine within the State.

22. If at any time it appears to the State Government that the Council has failed to exercise or has exceeded or abused any of the powers conferred upon it by or under this Act or has failed to perform any of the duties imposed upon it by or under this Act the State Government may, if it considers such failure, excess, or abuse to be of a serious nature notify the particulars thereof to the Council, and if the Council fails to remedy such failure, excess or abuse within such time as the State Government may fix in this behalf, the State Government may dissolve the Council for a period of two years which may be extended by the State Government for a period not exceeding one year at a time but the period of dissolution in the aggregate shall not exceed five years and cause all or any of the powers and duties of the Council to be exercised and performed by such person and for such period, as it may think fit and shall take steps to bring into existence a new Council. Control by State Government.

23. (1) The Council shall furnish such reports, copies of its minutes, abstracts of its accounts, and other information to the State Government as the State Government may require. Information to be furnished by Council and publication thereof.

(2) The State Government may publish in such manner as it may think fit, any report, copy, abstract or other information furnished to it under this section.

24. If any person whose name is not enrolled on the State Medical Register practises as a registered Medical Practitioner, he shall be punishable with regorous imprisonment for a term which amy extend to three years and with fine which may extend to five thousand rupees: Penalty.

Provided that,—

(i) the person possessing Bachelor in Ayurvedic with Modern Medicine and Surgery degree and registered with the Madhya Pradesh Board of Ayurvedic and Unani systems of Medicine and Naturopathy shall not be punishable under this section for prescribing allopathic medicines or practising surgery if his registration certificate authorises him to do so ;

(ii) the Medical Practitioner entitled to the privileges of Section 27 of the Indian Medical Council Act, 1956 (No. 102 of 1956) shall not be punishable under this section for his non-registration in Madhya Pradesh.

25. No act or proceeding of the Council shall be invalid merely by reason of,— Vacancy not to invalidate proceeding etc.

(a) any vacancy in, or defect in the constitution thereof ; or

(b) any defect in the election or nomination of a person acting as member thereof ; or

(c) any irregularity in its procedure not affecting the merits of the case.

26. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the State Government, the Council or any Committee thereof, or any officer or servant of the Government or the Council for anything which is in good faith done or intended to be done, under this Act. Protection of action taken in good faith.

Power to make rules by State Government.

27. (1) The State Government may, by notification, make rules to carry out the purposes of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely :—

(a) the qualifications, conditions of appoinment and service, the scale of pay, the tenure of office and the powers and duties of the Registrar ;

(b) any other matter which has to be or may be, prescribed.

(3) All rules made under this Act, shall be laid on the table of Lagislative Assembly.

Power to make regulations by Council.

28. The Council may, with the previous sanction of the State Government, make regulations generally to carry out the purposes of this Act, and, without prejudice to the generality of this power, such regulations may provide for,—

(a) the management of the property of the Council and the maintenance and audit of its accounts ;

(b) the summoning and holding of meetings of the Council, the time and places where such meetings are to be held and the conduct of business thereat ;

(c) the resignation of members of the Council ;

(d) the powers and duties of the President and Vice-President ;

(e) the mode of appointment of the committee, the summoning and holding of meetings, and the conduct of business of such committees ;

(f) the qualifications and conditions of service of other employees of the Council ;

(g) the particulars to be stated and the proof of qualifications to be given in the application for registration under this Act ;

(h) the fee to be paid on applications and appeals made under this Act ;

(i) the fee to be paid for entering additional qualification in the State Medical Register ; and

(j) any matter for which under this Act provision may be made by regulations.

CHAPTER VI—REPEAL AND TRANSITIONAL PROVISIONS

Transitional provisions.

29. (1) The State Government may for bringing the Council into being in accordance with the provisions of this Act appoint the Director of Medical Services to be a Special Officer to conduct election of Council to be established for the first time after the commencement of this Act.

(2) Till the Council is established under sub-section (1) of Section 5, the Special Officer appointed under sub-section (1) shall be deemed to be Council established under sub-section (1) of Section 3 for the purposes of this Act and shall exercise the powers and discharge the functions of the Council;

30. The provisions of this Act are in addition to, and not in derogation of, the provisions of the Indian Medical Council Act, 1956 (No. 102 of 1956), containing general provisions applicable to all medical practitioners. General provisions applicable to medical practitioners.

31. As from the date of commencement of this Act, the following consequences shall ensue, namely :— Repeal and other consequences.

(a) the Central province and Berar Medical Registration Act, 1916 (No. 1 of 1916), and the Madhya Pradesh Statutory Bodies (Regional Constitution) Act, 1956 (XVII of 1956), in so far as it relates to the said Act, the Madhya Bharat Medical Practitioners Registration Act, 1954 (No. 16 of 1954) and the Medical Practitioners Registration Act, 1935 (Bhopal Act VII of 1935), in so far as it relates to registered practitioners practising medicine as defined in clause (c) of Section 2 shall stand repealed ;

(b) the Mahakoshal Medical Council, the Madhya Bharat (Region) Medical Council and the Medical Council established under Section 3 of the Medical Practitioners Registration Act, 1935 (Bhopal Act VII of 1935) shall stand dissolved ;

(c) all assets and liabilities of the Councils referred to in clause (b) shall belong to and be deemed to be the assets and liabilities of the Council established or deemed to be established under Section 3 ;

(d) all records and papers belonging to the Councils referred to in clause (b) shall vest in and be transferred to the Council established or deemed to be established under Section 3.

SCHEDULE

[See Section 2(d)]

Medical Institution by which granted	Recognised Medical Qualifications	Abbreviation for registration
(1)	(2)	(3)
Robortson Medical School, Nagpur.	Rural medical Practitioner.	R.M.P.
	Diploma in Medical Practice.	D.M.P.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—1990.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 43] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 19 जनवरी 2016—पौष 29, शक 1937

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 19 जनवरी 2016

क्र. 1210-22-इक्कीस-अ-(प्रा.)/अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 12 जनवरी 2016 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
परितोष कुमार तिवारी, उपसचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ९ सन् २०१६

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अधिनियम, २०१५

[दिनांक १२ जनवरी, २०१६ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक १९ जनवरी, २०१६ को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, १९८७ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अधिनियम, २०१५ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा ४ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, १९८७ (क्र. ११ सन् १९९०) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ४ में,—

(एक) उपधारा (१) में, खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(ग) आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश.";

(दो) उपधारा (२) में, शब्द "संचालक, चिकित्सा सेवा (डायरेक्टर मेडिकल सर्विसेज)" के स्थान पर, शब्द "आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश" स्थापित किए जाएं.

अनुसूची का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की अनुसूची में, विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात्:—

"बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर.	बैचलर ऑफ मेडिसिन एन्ड बैचलर ऑफ सर्जरी.	एम.बी.बी.एस.".

भोपाल, दिनांक 19 जनवरी 2016

क्र. 1210-22-इक्कीस-अ-(प्रा.)/अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2015 (क्रमांक 9 सन् 2016) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
परितोष कुमार तिवारी, उपसचिव.

MADHYA PRADESH ACT

NO. 9 OF 2016

THE MADHYA PRADESH AYURVIGYAN PARISHAD (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2015

[Received the assent of the Governor on the 12th January, 2016; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 19th January, 2016.]

An Act to amend the Madhya Pradesh Ayurvigyan Parishad Adhiniyam, 1987.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-sixth year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Ayurvigyan Parishad (Sanshodhan) Adhiniyam, 2015.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

Amendment of section 4.

2. In Section 4 of the Madhya Pradesh Ayurvigyan Parishad Adhiniyam, 1987 (No. 11 of 1990) (hereinafter referred to as the principal Act),-

(i) in sub-section (1), for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:—

"(c) Commissioner, Medical Education, Madhya Pradesh.";

(ii) in sub-section (2), for the words "Director of Medical Services", the words "Commissioner, Medical Education, Madhya Pradesh" shall be substituted.

Amendment of Schedule.

3. In Schedule to the principal Act, after the existing entries, the following entries shall be added, namely:-

"Bundelkhad Medical College, Sagar.	Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery.	M.B.B.S.".

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 48] भोपाल, शनिवार, दिनांक 28 जनवरी 2017—माघ 8, शक 1938

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2017

क्र. 1618-16-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 24 जनवरी 2017 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक ८ सन् २०१७.

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अधिनियम, २०१६

[दिनांक २४ जनवरी, २०१७ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक २८ जनवरी, २०१७ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, १९८७ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अधिनियम, २०१६ है. संक्षिप्त नाम.

धारा २४ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, १९८७ (क्रमांक ११ सन् १९९०) की धारा २४ के परन्तुक में खण्ड (एक) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(एक क) ऐसा व्यक्ति, जो विषम चिकित्सीय (एलोपैथिक) औषध पद्धति की शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं या केन्द्रों में पदस्थ हो और भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७० (१९७० का ४८) की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित आयुर्वेदिक पद्धति और यूनानी पद्धति में स्नातक उपाधि रखता हो तथा मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा-पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड में रजिस्ट्रीकृत हो तथा जिसने सरकार द्वारा, समय-समय पर, विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, १९७० (क्रमांक ५ सन् १९७१) के अधीन उपबंधित प्रशिक्षण की सीमा तक आधुनिक आयुर्विज्ञान, जो "एलोपैथी" के नाम से भी जानी जाती है तथा अन्य चिकित्सीय प्रक्रियाओं का औषध-निर्देशन करने के लिए पात्र होगा और विषम चिकित्सा औषधियों (एलोपैथिक मेडिसिन्स) का औषध-निर्देशन करने के लिए इस धारा के अधीन दण्डनीय नहीं होगा.".

भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2017

क्र. 1618-16-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2016 (क्रमांक 8 सन् 2017) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 8 OF 2017

THE MADHYA PRADESH AYURVIGYAN PARISHAD (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2016.

[Received the assent of the Governor on the 24th January, 2017; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 28th January, 2017.]

An Act to amend the Madhya Pradesh Ayurvigyan Parishad Adhiniyam, 1987.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-seventh Year of the Republic of India, as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Ayurvigyan Parishad (Sanshodhan) Adhiniyam, 2016.

Amendment of Section 24.

2. In Section 24 of the Madhya Pradesh Ayurvigyan Parishad Adhiniyam, 1987 (No. 11 of 1990), in the proviso, after clause (i), the following clause shall be inserted, namely :—

"(ia) the persons posted in the Government health institutions or centers of allopathic system of medicine and possessing graduate degree in Ayurvedic system and Unani system included in Second Schedule of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (No. 48 of 1970) and registered with the Madhya Pradesh Board of Ayurvedic and Unani Systems of Medicine and Naturopathy and have undergone training specified by the Government, from time to time, shall also be eligible to prescribe medicines under modern scientific medicine which is also known as "allopathy" and such other medical procedures to the extent of training provided under the Madhya Pradesh Ayurvedic, Unani Tatha Prakritik Chikitsa Vyavsayi Adhiniyam, 1970 (No. 5 of 1971), and shall not be punishable under this section for prescribing allopathic medicines;".

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर 1991

क्रमांक 1576/2696/17मैं-4 :: मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम 196 की धारा 29 के अंतर्गत संक्रमण कालीन व्यवस्था के लिये संचालक, चिकित्सा सेवायें, म0प्र0 भोपाल को विशेष अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डॉ0 व्ही0एस0 निरंजन)
उप सचिव

पृ0क्रमांक 1576/2696/17मैं-4   भोपाल, दिनांक 13-12-91

प्रतिलिपि :-

1/ संचालक, चिकित्सा सेवायें, म0प्र0 भोपाल।

2/ रजिस्ट्रार, मेडिकल कौंसिल म0प्र0 भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है।

(डॉ0 व्ही0एस0 निरंजन)
उप सचिव

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म. प्र. भोपाल. 16 DEC 1991

5920/A

Steno

17 DEC 1991

मेडिकल कौंसिल, भोपाल.

क्रमांक 763/91

दिनांक 25/10/1991

प्रति,

सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
भोपाल.

19

विषय:- म.प्र. आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1987 के अंतर्गत विशेष अधिकारी की नियुक्ति.

सेवा में,

निवेदन है कि मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1987 राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात दिनांक 24 जुलाई 1990 को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) को प्रकाशित किया गया है।

अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत संक्रमण कालीन व्यवस्था के लिये संचालक चिकित्सा सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल को विशेष अधिकारी नियुक्त करने का प्रावधान है।

विशेष अधिकारी अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात प्रथम बार स्थापित की जाने वाली परिषद के निर्वाचन का संचालन करेगा तथा धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित परिषद समझा जायेगा और वह परिषद की शक्तियों का प्रयोग तथा उसके कृत्यों का निर्वहन करेगा।

अत: निवेदन है कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संचालक-चिकित्सा सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल को विशेष अधिकारी नियुक्ति संबंधी आदेश प्रसारित किये जायें।

संलग्न:- अधिनियम

(हस्ताक्षर)

संचालक चिकित्सा सेवायें
मध्यप्रदेश

(102)

मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय,

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक: 24/2/2016

कमांक एफ 2–31/2016/1/55 :: मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अधिनियम 2015 की अधिसूचना दिनांक 19/1/2016 द्वारा मध्यप्रदेश परिषद् अधिनियम 1987 को संशोधित कर परिषद् के अध्यक्ष संचालक, चिकित्सा सेवा के स्थान पर आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा को परिषद् का अध्यक्ष स्थापित किया गया है।

2/— अतः राज्य शासन एतद् द्वारा मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अधिनियम 2015 द्वारा उत्पन्न परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अध्यक्ष मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् भोपाल का प्रभार आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा म.प्र. भोपाल को तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस.एस.कुमरे)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

कमांक: एफ: 2–31/2016/1/55: भोपाल, दिनांक: 24/2/2016

प्रतिलिपि:—

1. मान.मंत्री जी/राज्य मंत्री जी, चिकित्सा शिक्षा विभाग भोपाल म.प्र.।
2. उपकुलपति, म.प्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर म.प्र.।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग भोपाल म.प्र.।
5. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं म.प्र. सतपुड़ा भवन भोपाल म.प्र.।
6. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र.सतपुड़ा भवन भोपाल।
7. अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल/इंदौर/ग्वालियर/जबलपुर/रीवा/सागर म.प्र.।
8. संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक संबद्ध चिकित्सालय भोपाल /इंदौर /ग्वालियर /जबलपुर /रीवा /सागर म.प्र.।
9. स्टॉक पंजी।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग